# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

**निगरानी प्रकरण कमांक 1038/II/2007 विरूद्व आदेश दिनांक 31.03.1997 पारित व्दारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना–प्रकरण कमांक 150/1996–97 स्व0निगरानी**

श्रीमती नटीवाई पत्नि वजरंग लाल मीना
निवासी इन्द्रपुरा तहसील व जिला श्योपुर म0प्र0 ——— आवेदिका

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदकगण

(आवेदिका की ओर से अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक की ओर से पैनल अभिभाषक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 20-7-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 150/1996–97 स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31.03.1997 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदिका ने नायव तहसीलदार श्योपुर कलॉ को आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम इन्द्रपुरा स्थित आराजी कमांक 85/1 रकवा 127 वीघा में से रकबा 5 वीघा काविलकास्त भूमि (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि संबोधित किया गया है) पर उसका संबत 2040 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है एंव खेती करती आ रही है । अतः भूमिहीन होने से इस भूमि का उसके नाम व्यवस्थापन किया जावे। नायव तहसीलदार श्योपुर कलॉ ने प्रकरण कमांक 24/1994–95 अ 19 पंजीबद्व किया तथा जांच उपरांत आदेश दिनांक 29–5–95 पारित करके म0 प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि

पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रयोग किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदिका के नाम कर दिया। नायव तहसीलदार के इस आदेशके विरूद्व शिकायत प्राप्त होने पर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने दिनांक 5-3-97 को नायव तहसील का प्रकरण जांच में लेकर स्वमेव निगरानी कमांक 150/1996-97 पंजीबद्व की तथा पेशी 17-3-97 नियत कर आवेदिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आवेदिका ने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर बचाव प्रस्तुत किया तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 31.03.1997 पारित किया एंव आवेदिका के हित में वाद ग्रस्त भूमि के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 29.5.95 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलबध अभिलेख की समीक्षा करने पर स्थिति यह है कि आवेदिका ने नायव तहसीलदार श्योपुर कलॉ के समक्ष आवेदन दिनांक 20.3.1995 प्रस्तुत कर भूमि सर्वे कमांक 85/1 के कुल रकबा 26.549 हैक्टर में से कब्जे वाली काविलकास्त भूमि रकबा 5 वीघा मात्र के व्यवस्थापन की मांग की थी , जिस पर उसने सम्बत् 2040 से काविज होकर खेती करके जीवन-यापन करते चले आना बताया है । वादग्रस्त सर्वे नम्बर का कुल रकबा 26.549 हैक्टर है जिसमें से उसने मात्र 5 वीघा काविलकास्त रकबे के व्यवस्थापन की मांग की है जैसाकि खसरे में उसके नाम का कब्जा दर्ज होने से इस तथ्य की पुष्टि होती है खसरे की प्रति तहसील न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ 7 एंव 8 पर संलग्न है जिसमें मात्र 5 वीघा भूमि पर आवेदिका का कब्जा दर्ज चला आ रहा है। आवेदिका के अभिभाषक के तर्कानुकम में यह बिन्दु विचार योग्य है कि यदि आवेदिका की प्रवृति दूषित होती , वह इससे अधिक रकबे के व्यवस्थापन की भी मांग कर सकती थी, किन्तु उसके व्दारा स्वच्छ मन से मात्र कब्जे वाली भूमि के व्यवस्थापन की मांग की गई। आवेदिका ने वादग्रस्त भूमि के अतिकमण को लेकर तहसील न्यायालय में चले प्रकरण कमांक 996 अ-68

/75–76 में उस पर हुये रूपये 20/– के अर्थदण्ड का भुगतान कर देने की रसीद कमांक 98 दिनांक 30.1.81 पुष्टिकरण में प्रस्तुत की है जो नायव तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ 6 पर संलग्न है। अर्थदण्ड की इस रसीद से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदिका का अतिकमण 1975–76 के पूर्व से चला आ रहा है इसके वाद भी अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने वादग्रस्त भूमि पर आवेदिका का वर्ष 1984 से कब्जा न मानने में भूल करना पाया गया है।

5/ नायव तहसीलदार श्योपुर कलॉ व्दारा प्रकरण में की गई कार्यवाही एंव व्यवस्थापन प्रकिया के अवलोकन से पाया गया कि उन्होंने भूमि व्यवस्थापन के पूर्व ग्रामीणों से आपत्ति आमंत्रण हेतु 30 दिवस का समय देकर इस्तहार का प्रकाशन कराया है किसी ग्रामीण की ओर से कोई निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आई हैं, । नायव तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि के व्यवस्थापन के पूर्व ग्रामीणों की स्वतंत्र साक्ष्य ली है। साक्षी बीरबल मीना आयु 42 वर्ष एंव नारायण बैरवा आयु 55 वर्ष ने कथन दिया है कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदिका को खेती करते हुये उन्होंने पिछले 15 वर्षो से देखा है यह कथन दिनांक 10.5.95 को हुये हैं अर्थात 1995 के पन्द्रह वर्ष पूर्व यानि 1980 के लगभग होता है, तब से आवेदिका वादग्रस्त भूमि पर काविज होकर खेती करते आना साक्षीगण के कथनों से प्रमाणित है और इन ग्रामीण साक्षीगण के कथनों के सम्बन्ध में अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना का आदेश दिनांक 31.3.1997 मौन है। स्पष्ट है कि अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने साक्षीगण के कथनों पर ध्यान दिये बिना आदेश पारित किया है जो वास्तविकता के विपरीत होना पाया गया है।

6/ आवेदिका के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर आयुक्त मुरैना व्दारा स्वमेव निगरानी हेतु निर्धारित समयावधि के वाहर जाकर निगरानी दर्ज करते हुये सुनवाई की है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के अवलोकन से स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार श्योपुर कलॉ ने प्रकरण कमांक 24/1994–95 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 29–5–95 से वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदिका के हित मे किया है जिसके विरूद्व अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना ने प्रथम आर्डरशीट दिनांक 5–3–97 लिखकर स्वमेव निगरानी पंजीबद्व की है अर्थात एक वर्ष नौ माह से अधिक अवधि वाद स्वमेव निगरानी पंजीबद्व की है।

संता चमार विरूद्व लालवा चमार 1990 राजस्व निर्णय 90 में दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है वि स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियां युक्तियुक्त समय के पश्चात प्रयुक्त नहीं की जा सकतीं, जबवि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने एक वर्ष नौ माह वाद स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों क प्रयोग किया है जो युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं माना जा सकता – क्योंकि स्वमेव निगरानी हेतु एक वर्ष का समय भी अयुक्तियुक्त है। अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने स्वमेव निगरानी प्रकरण विलम्ब से दर्ज करने वावत् कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है, इसके विपरीत आवेदिका वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1980 से निरन्तर काविज होकर खेती करते चले आने का तथ्य खसरे में कब्जेदार की प्रविष्टि से, उस पर अतिक्रमण स्वरूप किये गये अर्थदण्ड से तथा साक्षीगण के कथनों से प्रमाणित है, जिसके कारण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना व्दारा पारित आदेश दिनांक 31.3.1997 वास्तविकता के विपरीत होना पाये जाने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ आवेदिका के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदिका ने कब्जे के कार्यकाल से वादग्रस्त भूमि को उबड़ खावड़ से मेहनत करके कृषि योग्य बनाया है नायव तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि काविलकास्त घोषित होने के उपरांत व्यवस्थापित की है। आवेदिका ने व्यवस्थापन उपरांत उन्नत कृषि के उद्वेश्य से एंव अधिक पैदावार लेने के लिये सिंचाई के साधन स्वरूप टयूव वैल लगाकर धन व श्रम व्यय किया है यदि आवेदिका की भूमि वापिस ले ली गई तो उसके सामने परिवार के लालन पालन की समस्या खड़ी हो जावेगी। इस संबंध में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 31.3.1997 के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त व्दारा खसरे में अंकित कब्जे के संबंध में अथवा नायव तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न पटवारी रिपोर्ट , मौखिक साक्ष्य वावत किसी प्रकार की विवेचना नहीं की है अपितु सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है जो Speaking order की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। यदि आवेदिका के अभिभाषक के तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जावे – इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0 शासन 2009 राजस्व निर्णय 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती – क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियां की गई है – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के लिये पात्र भूमिहीन

बंटिती को आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता। भू राजस्व संहिता 1959 म0प्र0 – धारा 50 – जब किसी पक्षकार को भूमि में बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो गये हों – तब विलम्ब से किया गया पुनरीक्षण अवधि वाधित है और ऐसा विलम्ब एक वर्ष भी अयुक्तियुक्त हो सकता है। परन्तु विचाराधीन निगरानी में अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण में आये तथ्यों एंव न्यायिक दृष्टांतों की अनदेखी की गई है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 31.3.1997 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 150/1996–97 स्व0निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31.03. 1997 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा ग्राम इन्द्रपुरा स्थित आराजी कमांक 85/1 में से रकबा 5 वीघा भूमि शासकीय अभिलेख में आवेदिका के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर